



CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)



No. CWC/FD-Taxation/ST (Gen)/11-12

11th July 2011

Service Tax Circular # 44

Subject = Implementation of Point of Taxation Rules, 2011.

Consequent upon the Point of Taxation Rules (PTR), 2011 introduced through the Finance Act, 2011 w.e.f. 1st April 2011 becoming operative, the Corporation had, vide its Service Tax Circular # 43 decided to avail the option available to the Assesseees u/r 9 to adopt these Rules w.e.f. 1st July 2011. Accordingly, these Rules (PTR) would be applicable to CWC w.e.f. 01.07.2011.

According to the Existing Provisions of Rule 6(1) of Service Tax Rules, 1994, the Service Tax was payable to the credit of the Central Government by 5th of the Month (6th in case of Electronic Payments through Internet Banking) immediately following the Calendar Month in which the Payment was received towards the Taxable Service, thereby meaning that the Service Tax was earlier allowed to be deposited in the Government Treasury on Realization Basis.

However, with the PTR coming into force, both the Rate of Service Tax as also the Due Date for Payment of Service Tax would now be linked to the Point of Taxation. As per PTR Rules, the Rate of Service Tax applicable to any Transaction as well as the Due Date for discharge of the Service Tax Liability would now be the Date of earliest Occurrence of any of the following 3 Events:

- a. Receipt of Payment;
- b. Raising of Bill or Invoice for the Services Rendered; or
- c. Completion of Rendition of Service, if the Bill or Invoice thereof is not raised within 14 Days from the completion of Service.

In case, however, the Bill is raised within the Statutory Period of 14 Days as required in Rule 4A of Service Tax Rules, 1994, the Liability for Payment of Service Tax will generally arise on the Date, when such Bill or Invoice is raised. Similarly, in case of Continuous Supply of Service, Point of Taxation for discharge of the Service Tax Liability would be the Completion of certain pre-determined Events or Milestones, when the Service Recipient is expected to make such Payment to the Service Provider. Accordingly, in the case of General Warehousing under Payment on Delivery Basis or the Abandoned or Long Standing Cargo or Time Barred Bonds, the Point of Taxation would be the Rendition of Service, which in these cases would be deemed to have been completed at the time of Delivery of Stocks/Cargo to the extent of Stocks/Cargo delivered after Receipt of Payment of Warehousing Charges.

Though PTR have come into force from 1st April 2011, the Transitional Provision of PTR (Rule 9) gives the Assessee an Option to follow PTR from 1st July, 2011 and start depositing Service Tax on Accrual/Billing Basis in respect of Bills raised from July 2011 onwards. However, where either the Service has been completed or where Bills/Invoices have been raised on or before 30.06.2011, the Point of Taxation shall, at the option of Tax Payer, be on Realization Basis even after 30.06.2011.

Accordingly, the Corporation would now be required to synchronize its Billing with the Receipt of Payment or Completion of Rendition of Service, thereby reducing its Points of Taxation (PoTs) to only 2 viz. either the Point of issuance of Bill/Invoice or the Point of Receipt of Payment, for which CWC would have to make certain changes in its System of Billing & Accountal of Revenue.

1: Storage & Warehousing:

a. General Warehousing – Reservation Basis:

- i. **Bills in the case of General Warehousing** on Space Reservation Basis would continue to be raised in Advance on Monthly Basis by 7th of each Month.
- ii. Bills in the case of General Warehousing for ORC should invariably be raised on the Last Working Day.
- iii. Bills in respect of Stocks stored on Payment against Delivery Basis are to be raised at the time of Delivery of Stocks, only for the Stocks actually delivered, as the Warehousing Service in respect of such Stocks would be deemed to have been completed with their Delivery.

It may also be noted that the Format of Warehouse Receipt issued by the Warehouse Manager at the time of acceptance of Goods for Warehousing has necessary Space provided for mention of the Period of Storage viz. the Date of deposit of Stock to the Date of Delivery of Stocks, thereby meaning that the Service was completed soon after the Agreed Period of Storage expired. For example, if the Goods were deposited for storage from 01.7.2011 to 30.9.2011 i.e. for 3 Months, the Period of Storage expires on the Last Day of September 2011, which points out completion of Service on 30.09.2011. In such a case, it will be difficult to contend that the Service would be complete on Actual Delivery of Material to the Customer, which may take place after 30.9.2011. In order to avoid any such objection, *it is suggested that immediately after the Period from to the Words "or the Delivery thereof" may be printed on the Warehouse Receipt to cover a Situation, where Service gets completed on Actual Delivery of Goods to the Depositor.*



b. CFS/ICDs & Bonded Warehousing:

Bills in the case of CFS/ICDs & Bonded Warehousing are to be raised to the extent of Advance received at the time of Receipt of Advance, where-after the Final Bill is to be raised at the time of Delivery of Stocks.

Bills in respect of Abandoned/Long Standing/Time Barred Bonds/Cargo are to be raised on the Date of Realisation of Warehousing Charges.

c. Management Warehousing:

Bills in respect of Management Warehousing would continue to be raised in Advance on Monthly Basis by 2nd of each Month.

2: Handling & Transportation Operations:

- a. Bills for H&T Operations in respect of General Warehousing are presently raised at any time after receipt of H&T Bills from H&T Contractor appointed by the Corporation for rendering the said Input Service, which at times, has been taking even 30 to 40 days from the rendition of Service. However, now onwards, the H&T Bills would have to be raised on Weekly Basis, for which the H&T Contractor be advised to obtain the Work Slip on Daily Basis and arrange to submit his Bills to the Regional Office (RO) within 3 Days of the close of each Week, where-after the RO would be required to invariably raise the Bill on the concerned Depositor within 2 Working Days.
- b. Bills for H&T Operations in respect of CFS/ICDs, however, would continue to be raised simultaneously at the time of rendition of Service.

3: CFS/ICDs under Strategic Alliance Management

Bills in respect of Fixed & Variable Fee for the CFS/ICDs operating under the Strategic Alliance Management Contract (SAMC) would continue to be raised on Monthly/Quarterly Basis separately in accordance with the Terms of SAMC.

4: Pest Control Services

Bills for the Pest Control Service rendered to the Casual Customers may continue to be raised immediately on rendition of Service.

However, the Bills for the Bulk Customers, which, at present, are reportedly being raised on Monthly/Quarterly Basis in accordance with the Terms of the relevant Agreement/Contract, after the end of relevant Month/Quarter, would now have to be necessarily raised on Weekly Basis, preferably within 2 Working Days from the End of each Week.

In view of the above, it is imperative that all the CFS/ICDs, Warehouses as also the PCS Units ensure that the Bills/Invoices in respect of all Services rendered by them are invariably raised immediately after the completion of respective Service, or within 2 Working Days after the of the Prescribed Billing Period, besides ensuring to realise the Bills thus raised within 10 Working Days from the Date of Completion of Service/ raising of Bills, failing which the Corporation would have to discharge its Service Tax Liability from its Own Funds.

5: Reversal of Bills by issue of Credit Notes:

Unlike under the Existing Service Tax Regime, wherein Service Tax Liability was discharged on Realisation Basis, with the PTR coming into force w.e.f. 01.07.2011, there would always be the Possibility of the Corporation paying Service Tax more than what would actually be realised from the Customers subsequently, for one or the other Service Deficiency, since the Service Tax would hereafter have been paid on the Basis of Raising of Bill/Invoice.

Whenever any Error is noticed in the Bills/Invoices raised or any Deficiency is reported in the Rendition of Service, the Amount billed in Excess as a result of such Error/Deficiency is to be reversed by issuing necessary Credit Note for the Service Charges together with the Service Tax due thereon. New Stationery of Serially numbered **Credit Notes** in triplicate in Red Colour Paper in the Format similar to that of the Bill/Invoice would have to be got printed, wherein complete Description of the Service rendered and Bill raised therefor etc., which would have to be given. A copy of such Credit Note would have to be stapled with the Office Copy of the Relevant Bill/Invoice for Ready Reference & Record.

6: Particulars to be mentioned in Bill/Invoice & Credit Note:

It may also be noted that Rule 4A (1) of the Service Tax Rules, 1994 envisages every Service Provider to issue a Bill or Challan or Invoice within 14 Days from the Date of Completion of the Taxable Service rendered by him to the concerned Service Recipient or the Receipt of any Payment toward the value of such Taxable Service, whichever is earlier, duly signed by some Authorised Person containing the following Particulars:

- a. Serial Number of the Bill, Challan or Invoice, as the case may be;
- b. Name, Address & PAN Based Service Tax Registration Number of the Service Provider;
- c. Name & Address of the Service Recipient;
- d. Description, Classification of Taxable Service provided or to be provided;
- e. Value of Taxable Service provided or to be provided; and
- f. Service Tax & Education Cess payable thereon



7: Nature of Funds credited in Pre-deposit (PD) Account:

CWC is maintaining the Pre-deposit (PD) Accounts of the Shipping Lines from where the Corporation appropriates its Dues towards Cargo Handling, Pest Control and Storage & Warehousing Charges etc. The Amount deposited by the Shipping Lines in their respective PD Accounts is not to be treated as Advance Payment of Service Charges, but only a Deposit in the Account of the concerned Shipping Line. This would therefore not be liable to Service Tax at the point of remittance of Funds by the Customer in his PD Account.

8: Illustration of Due Dates & Points of Taxation:


Due Dates of Deposit of Service Tax under various Circumstances could be easily understood from the following Illustrations:

S. No.	Date of Completion of Service	Date of Invoice	Date of Receipt of Payment	Point of Taxation	Due Date for Service Tax Pmt.	Remarks
1	10.07.11	20.07.11	30.07.11	20.07.11	05.08.11	Invoice issued in 14 days and before receipt of payment
2	10.07.11	26.07.11	30.07.11	10.07.11	05.08.11	Invoice not issued within 14 days and payment received after completion of service
3	10.07.11	20.07.11	15.07.11	15.07.11	05.08.11	Invoice issued in 14 days but payment received before invoice
4	20.07.11	01.08.11	01.09.11	01.08.11	05.09.11	Invoice issued in 14 days and before receipt of payment
5	20.07.11	05.08.11	01.09.11	20.07.11	05.08.11	Invoice not issued within 14 days and payment received after completion of service
6	28.06.11	30.06.11	01.09.11	01.09.11	05.10.11	Service completed & Invoice raised prior to 1 st July before PTR hence on realization basis

7	28.06.11	05.07.11	01.09.11	05.07.11	05.08.11	Service completed before 30.06.11 but Invoice raised after 1 st July hence on accrual basis
8	10.07.11	26.07.11	05.07.11 (Part) & 25.07.11 (balance)	05.07.11 & 10.07.11	05.08.11	Invoice not issued within 14 days. As advance payment (part) and balance on completion of service

Receipt of this Circular may be acknowledged and its Contents & the Changes notified hereinabove be brought to the Notice of all concerned for Scrupulous Compliance.

For any further Clarification, the relevant Notifications may be downloaded from the Central Board of Excise & Custom or the Service Tax Website viz. www.cbec.gov.in or www.servicetax.gov.in. However, if any Doubt still persists, you are welcome to refer the Specific Doubt for clarification to the Undersigned.



(N K Grover)
General Manager (F&A)

Distribution:

1. All the Regional Managers of the Central Warehousing Corporation.
2. All the Executive Engineers in-charge of all the Construction Cells of Central Warehousing Corporation.
3. All the Accounts Officers in-charge of the Finance & Accounts Wings at all the Regional Offices & Construction Cells of the Central Warehousing Corporation.

Copies for information to:

1. All HoDs at CWC, Corporate Office.
2. All AGMs/Managers/(Sr) Asstt. Managers (Accts.)/Accountants at CWC, Corporate Office.
3. PS to Managing Director, CWC, Corporate Office
4. PS to Director (Fin)/Director (Pers)/Director (MCP), CWC, Corporate Office.
5. SPA to CVO/OSD (Recovery), CWC, Corporate Office.

Corporate Office: Warehousing Bhawan, 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 Telefax No. 26515148 Email ID: grover.cwhc@nic.in



CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)



सं.सीडब्ल्यूसी / वित्त विभाग-कराधान / सेवाकर (सामान्य) / 11-12

15 सितम्बर, 2011

सेवा कर परिपत्र संख्या 44

विषय: कराधान बिंदु नियमावली, 2011 का कार्यान्वयन।

वित्त अधिनियम, 2011 के माध्यम से 01 अप्रैल, 2011 से लागू की गई कराधान बिंदु नियमावली, 2011 (पीटीआर) के कार्यान्वयन के परिणामतः निगम ने अपने सेवा कर परिपत्र संख्या 43 के जरिए 01 जुलाई, 2011 से इन नियमों को अंगीकार किए जाने के लिए नियम 9 के अधीन निर्धारित को उपलब्ध विकल्प का लाभ उठाने का निर्णय लिया था। तदनुसार, केंद्रीय भंडारण निगम में ये नियम (पीटीआर) दिनांक 01.07.2011 से लागू होंगे।

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(1) के तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार करयोग्य सेवा की अदायगी प्राप्त होने के मास के तत्काल बाद अगले मास की 05 तारीख तक (इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान के मामले में 06 तारीख तक) उस पर देय सेवा कर केंद्र सरकार के खाते में जमा कराना होता था अर्थात् पहले सेवा कर को वसूली के आधार पर सरकारी कोषागार में जमा करने दिया जाता था।

लेकिन कराधान बिंदु नियमावली (पीटीआर) के लागू होने से सेवा कर की दर एवं सेवा कर की अदायगी के लिए नियत तिथि दोनों ही अब कराधान बिंदु के अनुसार होंगे। कराधान बिंदु नियमावली के अनुसार, किसी भी लेन-देन पर लागू सेवा की दर और सेवा कर की देयता के उन्मोचन के लिए नियत तिथि अब वह तिथि होगी जब निम्नलिखित तीन घटनाओं में से कोई भी घटना पहले घटित हो:

- (क) सेवाओं के भुगतान की प्राप्ति
- (ख) प्रदत्त सेवा का बिल या बीजक प्रस्तुत किया जाना; और
- (ग) यदि सेवा पूरी करने की तिथि से 14 दिन के अंदर उसका बिल या बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो सेवा के निष्पादन की तिथि।

लेकिन यदि सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4क की अपेक्षा के अनुसार यदि बिल या बीजक 14 दिन की सांविधिक अवधि के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, तो सेवा कर की अदायगी की देयता उस तिथि के अनुसार होगी। इसी प्रकार सेवा की सतत आपूर्ति के मामले में सेवा कर के दायित्व के उन्मोचन के लिए कराधान बिंदु कुछ उन पूर्व निर्धारित घटनाओं या महत्वपूर्ण घटनाओं का पूर्ण होना होगा, जब सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा प्रदाता को ऐसी अदायगी किए जाने की उम्मीद हो। तदनुसार, सुपुर्दगी आधार पर अथवा परित्यक्त अथवा लंबे समय से पड़े माल अथवा कालातीत बांड की अदायगी के अधीन सामान्य भंडारण के मामले में कराधान बिंदु उस सेवा का निष्पादन होगा जो इन मामलों में, भंडारण प्रभारों की प्राप्ति के बाद सुपुर्द किए गए स्टॉक/माल की सीमा तक स्टॉक/माल की सुपुर्दगी के समय पूरा किया गया माना जाएगा।

हालांकि कराधान बिंदु नियम 01 अप्रैल, 2011 से लागू हुए हैं, तथापि पीटीआर (नियम) के संक्रमणीय उपबंधों के अधीन निर्धारिती को 01 जुलाई, 2011 से पीटीआर का अनुपालन करने और जुलाई, 2011 एवं उसके बाद प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों के संबंध में प्रोद्भवन/बिलों के आधार पर सेवा कर जमा कराने का विकल्प दिया जाता है। हालांकि ऐसे मामलों में, जिनमें सेवा पूरी हो चुकी हो अथवा बिल/बीजक दिनांक 30.06.2011 को या उससे पहले प्रस्तुत किए गए हों, करदाता की इच्छा अनुसार कराधान बिंदु वसूली के आधार पर दिनांक 30.06.2011 के बाद भी विद्यमान रहेगा।

तदनुसार, निगम को अदायगी प्राप्त होने या सेवा का निष्पादन पूरा होने के साथ बिलों को जोड़ना होगा जिससे कराधान बिंदु केवल 2 तक कम हो जाएं, यथा बिल/बीजक जारी करने का बिंदु या अदायगी प्राप्त करने का बिंदु जिसके लिए केंद्रीय भंडारण निगम को बिलिंग और राजस्व लेखा प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने होंगे।

1. संग्रहण और भंडारण:

क. सामान्य भंडारण – आरक्षण के आधार पर

- i. सामान्य भंडारण के मामले में स्थान के आरक्षण के आधार पर प्रत्येक माह की 07 तिथि तक मासिक आधार पर अग्रिम रूप से बिल प्रस्तुत किए जाते रहेंगे।
- ii. सामान्य भंडारण के मामले में ओआरसी के बिल अंतिम कार्यदिवस को अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- iii. सुपुर्दगी के आधार पर भुगतान करने पर भंडारगृह में रखे गए स्टॉक के बिल, स्टॉक की सुपुर्दगी के समय प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन यह केवल वास्तव में सुपुर्द किए गए स्टॉक के मामले में होगा क्योंकि ऐसे स्टॉक के भंडारण की सेवा उनकी सुपुर्दगी से पूरी हुई मानी जाएगी।

इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि भंडारण के लिए माल स्वीकार करते समय भांडागार प्रबंधक द्वारा जारी भंडारण रसीद के स्वरूप में भंडारण की अवधि का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त जगह अवश्य छोड़ी जाए। इसका तात्पर्य यह है कि अनुबंधित भंडारण अवधि पूरी होते ही भंडारण सेवा पूरी हो गई थी। उदाहरणार्थ यदि माल दिनांक 01.07.2011 से 30.09.2011 तक, अर्थात् तीन महीने के लिए भंडारण में रखा गया था तो भंडारण अवधि सितंबर, 2011 के अंतिम दिन समाप्त होती है जिससे इस बात का पता चलता है कि सेवा दिनांक 30.09.2011 को पूरी हो गई है। ऐसे मामलों में यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन होगा कि ग्राहक को माल की वास्तविक सुपुर्दगी हो जाएगी जो दिनांक 30.09.2011 के बाद हो सकती है। ऐसी किसी आपत्ति से बचाव के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि से के तुरंत बाद शब्द अथवा "उसकी सुपुर्दगी होने तक" भांडागार की सेवा का निष्पादन रसीद पर मुद्रित करवा दिया जाए ताकि उसके अंतर्गत वह स्थिति आ जाए जहां जमाकर्ता को माल की वास्तविक सुपुर्दगी पर सेवा को पूरा कर दिया गया माना जाता है।

ख. सीएफएस/आईसीडी एवं बांडेड भांडागार

सीएफएस/आईसीडी एवं बांडेड भांडागार के मामले में अग्रिम की प्राप्ति के समय प्राप्त अग्रिम की सीमा तक बिल प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके बाद अंतिम बिल माल की सुपुर्दगी के समय प्रस्तुत किए जाएंगे।

परित्यक्त/लंबे समय से पड़े माल/कालातीत बांड/सामान के बिल भांडागारण प्रभार की वसूली की तारीख को प्रस्तुत किए जाएंगे।

ग. प्रबंधन भंडारण

प्रबंधन भंडारण के बिल प्रत्येक माह की 2 तिथि तक मासिक आधार पर अग्रिम रूप से प्रस्तुत किए जाते रहेंगे।

2. रखरखाव एवं परिवहन कार्य

(क) सामान्य भंडारण के रखरखाव एवं परिवहन कार्य के बिल वर्तमान में उपर्युक्त समावेशी सेवा करने के लिए निगम द्वारा नियुक्त रखरखाव एवं परिवहन ठेकेदार से इसके बिल प्राप्त होने के बाद किसी भी समय प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें कई बार सेवा के निष्पादन से 30-40 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन अब से रखरखाव एवं परिवहन के बिल साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके लिए रखरखाव एवं परिवहन ठेकेदार को सलाह दी जाए कि वह कार्य पच्ची दैनिक आधार पर प्राप्त करे और प्रत्येक सप्ताह की समाप्ति के तीन दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय को अपने बिल प्रस्तुत करने की व्यवस्था करे जिसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दो कार्यदिवसों के अंदर संबंधित जमाकर्ता को बिल अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

(ख) लेकिन सीएफएस/आईसीडी के रखरखाव एवं परिवहन कार्य के बिल सेवा के निष्पादन के समय साथ-साथ प्रस्तुत किए जाते रहेंगे।

3. नीतिगत सहयोग प्रबंधन के अधीन सीएफएस/आईसीडी

नीतिगत सहयोग प्रबंधन संविदा के अधीन सीएफएस/आईसीडी कार्य की स्थायी एवं परिवर्तनशील शुल्क के बिल उन संविदाओं की शर्तों के अनुसार अलग से मासिक/त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाते रहेंगे।

4. कीटनाशी/कीट नियंत्रण सेवा

फुटकर ग्राहकों को दी गई कीटनाशी नियंत्रण सेवा के बिल सेवा कर निष्पादन पूरा होने पर तत्काल प्रस्तुत किए जाते रहेंगे।

लेकिन थोक ग्राहकों के बिल अब आवश्यक रूप से साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत होंगे, बेहतर होगा प्रत्येक सप्ताह की समाप्ति से दो दिन के अंदर प्रस्तुत कर दिए जाएं, जिनके बारे में यह बताया गया है कि वे संबंधित माह/तिमाही की समाप्ति के बाद संगत करार/संविदा के अनुसार मासिक/त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सभी सीएफएस/आईसीडी भांडागार और पीसीएस इकाइयां यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सेवाओं के बिल/बीजक संबंधित सेवा के पूरा होने के तत्काल बाद या निर्धारित बिल अवधि के बाद दो कार्यदिवसों के अंदर अवश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, वे यह भी सुनिश्चित करें कि सेवा के पूरा होने/बिल प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 10 कार्यदिवसों के अंदर इस प्रकार प्रस्तुत किए गए बिलों की वसूली की जाती है, ऐसा न करने पर निगम को अपनी निधियों से उसकी सेवा कर देयता की अदायगी करनी होगी।

5. क्रेडिट नोट जारी करके बिलों का निराकरण

विद्यमान सेवा कर प्रणाली से भिन्न, जिसमें वसूली के आधार पर सेवा कर देयता का उन्मोचन किया जाता था, पीटीआर के दिनांक 01.07.2011 से लागू होने से निगम ग्राहकों से वास्तव में वसूल किए गए सेवा कर से अधिक सेवा कर अदा होने की संभावना है। यह किसी न किसी सेवा संबंधी कमी के कारण होता है क्योंकि अब से अदा किए जाने वाला सेवा कर बिल/बीजक प्रस्तुत करने के आधार पर अदा किया जाएगा।

जब कभी प्रस्तुत बिलों/बीजकों में किसी भूल का पता चलता है या सेवा के निष्पादन में कोई कमी बताई जाती है, तो ऐसी भूल/कमी के कारण बिल में उल्लिखित अधिक रकम का निराकरण सेवा प्रभारों और उस पर देय सेवा कर के लिए आवश्यक क्रेडिट नोट जारी करके किया जाएगा। बिल/बीजक के समान फार्मेट में लाल रंग के कागज में तीन प्रतियों में क्रेडिट नोटों पर क्रम संख्या अंकित करने के लिए नई लेखनसामग्री मुद्रित करवानी होगी, जिसमें निष्पादित सेवा के पूरे विवरण और उसके संबंध में प्रस्तुत बिल आदि का उल्लेख किया जाएगा। ऐसे क्रेडिट नोट की एक प्रति तत्काल संदर्भ और रिकार्ड के लिए संगत बिल/बीजक की कार्यालय प्रति के साथ संलग्न की जाएगी।

6. बिल/बीजक और क्रेडिट नोट पर उल्लिखित किए जाने वाले ब्योरे

यह भी नोट किया जाए कि सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4-क(1) में प्रत्येक सेवा प्रदाता से अपेक्षा की गई है कि वह संबंधित सेवा प्राप्तकर्ता या ऐसी करयोग्य सेवा के संबंध में किसी अदायगी की प्राप्ति, जो भी पहले हो, के बारे में अपने द्वारा प्रदान की गई करयोग्य सेवा के पूरा होने की तारीख से 14 दिन के अंदर बिल या चालान जारी करेगा, जिस पर किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों और जिसमें निम्नलिखित ब्योरे दिए गए हों:

- क. यथास्थिति बिल, चालान या बीजक की क्रम संख्या;
- ख. सेवा प्रदाता का नाम, पता और पैन आधारित सेवा कर पंजीकरण संख्या;
- ग. सेवा प्राप्तकर्ता का नाम और पता;
- घ. प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली करयोग्य सेवा का विवरण और वर्गीकरण;
- ङ. प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली करयोग्य सेवा का मूल्य;
- च. उस पर देय सेवा कर और शिक्षा उप-कर।

7. पूर्व जमा खाते (पीडी) में जमा की गई निधियों की प्रकृति:

केंद्रीय भंडारण निगम में शिपिंग लाइनों के पूर्व जमा खाते हैं, जहां से निगम सामान के रखरखाव, कीटनाशी नियंत्रण तथा संग्रहण एवं भंडारण प्रभारों आदि के लिए अपनी देयता का विनियोजन करता है। शिपिंग लाइनों द्वारा उनके संबंधित पूर्व जमा खातों में जमा राशि को सेवा प्रभारों की अग्रिम सेवा भुगतान नहीं माना जाएगा अपितु यह संबंधित शिपिंग लाइन के खाते में केवल जमा के रूप में है। अतः ग्राहक द्वारा अपने पूर्व जमा खाते में प्रेषित निधि पर सेवा कर नहीं लगाया जाएगा।

8. नियत तारीखों और कराधान बिंदु के उदाहरण

विभिन्न परिस्थितियों में सेवा कर जमा करने की नियत तारीख को निम्नलिखित उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है:

क्रम सं.	सेवा पूरी करने की तारीख	बीजक की तारीख	भुगतान प्राप्त होने की तारीख	कराधान बिंदु	सेवा कर देयता की नियत तिथि	अभ्युक्ति
1	10.07.11	20.07.11	30.07.11	20.07.11	05.08.11	बीजक 14 दिन के अंदर तथा भुगतान की प्राप्ति से पहले जारी किया गया।
2	10.07.11	26.07.11	30.07.11	10.07.11	05.08.11	बीजक 14 दिन के अंदर जारी नहीं किया गया तथा भुगतान सेवा पूरी होने के बाद प्राप्त हुआ।
3	10.07.11	20.07.11	15.07.11	15.07.11	05.08.11	बीजक 14 दिन के अंदर जारी किया गया लेकिन भुगतान बीजक से पहले प्राप्त हुआ।
4	20.07.11	01.08.11	01.09.11	01.08.11	05.09.11	बीजक 14 दिन के अंदर तथा भुगतान की प्राप्ति से पहले जारी किया गया।
5	20.07.11	05.08.11	01.09.11	20.07.11	05.08.11	बीजक 14 दिन के अंदर जारी किया गया तथा भुगतान सेवा पूरी होने के बाद प्राप्त हुआ।
6	28.06.11	30.06.11	01.09.11	01.09.11	05.10.11	सेवा पूरी की गई तथा बीजक पीटीआर से पहले 01 जुलाई से पूर्व वसूली आधार पर जारी किया गया।
7	28.06.11	05.07.11	01.09.11	05.07.11	05.08.11	30.06.11 से पहले सेवा पूरी की गई किंतु बीजक 01 जुलाई के बाद प्रोद्भूत आधार पर प्रस्तुत किया गया।
8	10.07.11	26.07.11	05.07.11 (आंशिक) एवं 25.07.11 शेष	05.07.11 एवं 10.07.11	05.08.11	बीजक 14 दिन के अंदर जारी नहीं किया गया, अतः अग्रिम भुगतान (आंशिक) तथा शेष सेवा पूरी होने पर।

कृपया इस परिपत्र की पावति भेजें तथा यहां ऊपर अधिसूचित इसकी उपर्युक्त विषय-वस्तु एवं परिवर्तनों का अनुपालन सख्ती से करने के लिए इसे सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

कृपया और अधिक स्पष्टीकरण के लिए संगत अधिसूचनाएं केंद्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड या सेवा कर की वेबसाइट www.cbec.gov.in या www.servicetax.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। लेकिन फिर भी, यदि कोई शंका रह जाती है तो उस शंका विशेष को स्पष्टीकरण के लिए अधोहस्ताक्षरी को भेजा जा सकता है।

ए.के.गोवर
(एन.के. गोवर)

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

वितरण:

1. केंद्रीय भंडारण निगम के सभी क्षेत्रीय प्रबंधक।
2. केंद्रीय भंडारण निगम के सभी निर्माण सैलों के कार्यपालक अभियंता।
3. केंद्रीय भंडारण निगम के सभी कार्यालयों एवं निर्माण सैलों के सभी वित्त एवं लेखा कक्षों के प्रभारी लेखा अधिकारी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. केंद्रीय भंडारण निगम के निगमित कार्यालय के सभी विभागाध्यक्ष।
2. केंद्रीय भंडारण निगम के निगमित कार्यालय के सभी स.म.प्र./प्रबंधक/वसप्र/स.प्र. (लेखा)/लेखाकार।
3. प्रबंध निदेशक के निजी सचिव, केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय।
4. निदेशक(वित्त)/निदेशक(कार्मिक)/निदेशक(एमसीपी) के निजी सचिव, केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी (वसूली), वरिष्ठ निजी सहायक, केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय।